20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

राजस्व मण्डल

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, उज्जैन म0प्र0

R-4419-I/12

प्र0क्रं0-

1-रणछोडदास पितानाथूराम बैरागी,
2-बंशीलाल पिता भंवरलाल बैरागी,
3-भगवानदास पिता मुन्नादास बैरागी,
निवासी ग्रामग्राम बाईगांव, तह0नलखेडा, जिला शाजापुर म0प्र0

--आवेदकगण/रिवीजनकर्ता,

बनाम

1-शंकर पिता भंवरजी, जाति चमार, निवासीग्राम बाईगांव, तह0नलखेडा, जिलाशाजापुर म0प्र0

2. म. प्र. शासन

---विपक्षीगण,

आवेदनपत्र अंतर्गतधारा-50 म0प्र0भू0रा0सं0

प्रकरणक्रं0-38-अ-12/11-12 आदेश दिनांक-18.4.12

तहसीलदार महोदय, नलखेडा के आदेश से असन्तुष्ट होकर उक्त रिवीजन प्रस्तुत है.

पक्षी/अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दिनांक चेतन नाईक 5/12/2012 लिपिक आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग

256
5/12/2012

Adml. आयुक्त उज्जैन
केस प्राप्त
11-12-12

मानननीय महोदय,

रिवीजनकर्ता/आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित रिवीजन प्रस्तुत है:-

18.12.12

प्रकरण के तथ्य

यहकि विपक्षी द्वाराअधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन केलिये आवेदन पत्रप्रस्तुत किया गयाथा। विपक्षीने अपनीभूमि सर्वे क्रं0-49 मिन-रकबा 0.20हे0 भूमि जोकि शासकीयपट्टेदार के स्वत्व पर दर्ज होकरसीमांकन करने बाबत् अधिनस्थ न्यायालयकेसमक्ष आवेदनप्रस्तुत किया गयाथा।उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय ने सीमांकन करने का आदेश दियाथा। आदेश कापालन करने के लिये पटवारी महोदय,एवं अन्यपटवारी जो कि पटवारी हल्कानं-28 ... लेकर सीमांकन करने विपक्षी कीभूमि पर उपस्थित हुवे थे। सीमांकन ... 08 आरेभूमि रणछोडदास एवं 0.8 आरेभूमि भगवानदास आदि भंवरलाल बागरी के कब्जे मे होना पाया गया ... गये थे। दिनांक18-4-12 को आदेश दियागया ... रिवीजनधारा-5 अवधी विधान के आवेदन से

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4419-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	3-1-19